कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक–2967 / FP/UK/ROAD/20937/2016 :देहरादूनः 21 जून, 2023.

सेवा में,

सचिव,
वन अनुभाग–3,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद देहरादून में ग्राम सभा रैनापुर के अन्तर्गत गिरधारी लाला फार्म से तुडान माजरा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.6 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।
(ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या – FP/UK/ROAD/20937/2016)

संदर्भः– उत्तराखण्ड शासन वन अनुभाग–03 की पत्र संख्या– 137/(1)X-4-18/1(225)/2018 दिनांक– 31.12.2018.

महोदय,

कृपया वन अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे प्रश्नगत वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धांतिक स्वीकृति निर्गत की गई है। उक्त के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग देहरादून के पत्रांक पत्रांक 3793/12–1 दिनांक 23.05.2023 के माध्यम से अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही हैः–

क्र0स0	आपत्ति का विवरण	प्रत्युत्तर
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उक्त शर्त मान्य है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार पत्र सं0–5–3/2007 –एफ0सी0 दिनांक–05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उक्त शर्त मान्य है।
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएंगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उक्त शर्त मान्य है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक–05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0– एस0बी0– 25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक–11 भूतल सी0सी0ओ0 कॉम्पलैक्स, फेज–1 लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव क सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों को विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उक्त शर्त मान्य है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उक्त शर्त मान्य है।
6	प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण–पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उक्त

		शर्त मान्य है।
7	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकारी सुरक्षित है।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उक्त शर्त मान्य है।

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संख्या :– 2967 / FP/UK/ROAD/20937/2016 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून उत्तराखण्ड।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

21/6/23

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक 3793 /12–1 देहरादून, दिनांक 23 मई, 2023.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषयः– जनपद–देहरादून में ग्राम सभा रैनापुर के अन्तर्गत गिरधारी लाला फार्म से तुडान माजरा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.6 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– आपका पत्रांक–2607 / FP/UK/ROAD/20937 / 2016, दिनांक–16.05.2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त परियोजना में उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा जमा की गयी धनराशि तथा अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक–3386 / 12(1), दिनांक 15.04.2023 तथा इस कार्यालय के पत्रांक 2316 / 12(1), दिनांक 06.01.2020 के द्वारा पूर्व ही आपको प्रेषित की गयी है। सुलभ संदर्भ हेतु पूर्व में प्रेषित पत्रों की छायाप्रति पुनः अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नकः यथोपरि।

कार्यालय
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण,भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,उत्तराखण्ड
देहरादून 5673
पंजी0 सं0 ...2...
पत्रावली ...215...
दिनांक 27-5-23

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

सं0अ0 | प्रभारी देहरादून
आ0का0 करें।

अ0प्र0व0सं0 / नो0
24-5-23

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक 2316/12-1 देहरादून, दिनांक 06/01/ जनवरी, 2020

सेवा में,

अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं,
नोडल अधिकारी, इन्दिरानगर,
फारेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड, देहरादून

विषयः– जनपद देहरादून में ग्राम सभा रैनापुर के अन्तर्गत गिरधारी लाला फार्म से तुडान माजरा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.6 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

संदर्भः– अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश का पत्रांक–3437/24 सी दिनांक–30.12.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र जो आपको सम्बोधित तथा इस कार्यालय को पृष्ठांकित है का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त ऑन लाईन प्रपोजल सं0–FP/UK/ROAD/20937/2016 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–एफ0एन0–11–09/98–एफ0सी0 दिनांक–07.11.2014 एवं पत्र संख्या–एफ0न0–11/09/98–एफ0सी दिनाक–13.02.2014 में निहित प्राविधानों के अनुसार जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा निम्न धनराशि जमा की जा चुकी है।

1– **शर्त संख्या–1** के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो का रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि–**334398.00 रूपये** जमा की गई है।

2– **शर्त संख्या–2** प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 05.02. 2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित–धनराशि–**507000.00 रूपये** भारत सरकार के खाते में जमा की गई है।

3– प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी। **(प्रमाण पत्र संलग्न है)**

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपने संख्या– 3437/24 सी दिनांक–30.12.2019 के अनुसार समस्त शर्तो के अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गई है जिसकी छायाप्रति आपको संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकरण पर विधिवत् स्वीकृति हेतु अपने स्तर से भारत सरकार को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांकः–2316 /12–1, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश (देहरादून) मानवेन्द्र नगर, निकट रेलवे स्टेशन को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक : 3386 /12–1 देहरादून, दिनांक 15 अप्रैल 2023.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषयः– जनपद– देहरादून में ग्राम सभा रैनापुर के अन्तर्गत गिरधारी लाल फार्म से तुड़ान माजरा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.6 है0 वन भूमि गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में

संदर्भः– उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग–04 की पत्र संख्या–137/(1)/X–4–18/1(225)/2018 दिनांक– 31.12.2018

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग–04 की पत्र संख्या–137/(1)/X–4–18/1(225)/2018 दिनांक– 31.12.2018 के द्वार निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अध्यारोपित शर्तो का अनुपालन आख्यया इस कार्यालय के निम्न प्रकार प्रेषित की गई हैः–

क0सं0	सैद्धान्ति स्वीकृत की शर्त।	अनुपालन आख्या।
1.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	अनुपालन किया गया है। छायायप्रति संलग्न है।
2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार पत्र सं0–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक–05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	अनुपालन किया गया है।
3.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आश्य का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएंगी।	अनुपालन किया गया है। प्रमाण पंत्र संलग्न है।
4.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0 5–3/2007– एफ0 सी0 दिनांक–05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0प0वी0 तथा दूसरी निधियॉ प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय क लेखा सं0–एस0बी0–25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकम) ब्लाक–11 भूतल सी0ी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1 लोधी रोड़, नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति जमा की गयी धनराशि का बैक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण आर्थात एन0पी0वी0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों को विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	अनुपालन किया गया है। छायाप्रति संलग्न है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–बैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	अनुपालन किया गया है। प्रमाण पत्र संलग्न है।
6.	प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण–पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	अनुपालन किया गया है।
7.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकारी सुरक्षित है।	अनुपालन किया गया है।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकरण पर विधिवत् स्वीकृति हेतु अपने स्तर से भारत सरकार को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु अवगत करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

O/C

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश (देहरादून)

office of the Executive Engineer, Temporary Division P.W.D. Rishikesh

Phone/fax No.: 0135-2430660 **E-mail: eetdrksh@rediffmail.com**

पत्रांक 786/1सी0 **दिनांक 24/05/2024**

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून
उत्तराखण्ड।

विषयः– **जनपद देहरादून में ग्राम सभा रैनापुर के अन्तर्गत गिरधारी लाल फार्म से तुडान माजरा तक मार्ग के नवनिर्माण हेतु 0.6 है0 वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तांतरण।**

सन्दर्भः– **उत्तराखण्ड़ शासन का पत्रांक 1371(1)/X –4–18/1(225)/2018 दि0 31.12.2018**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्रांक 738/1सी0 दिनांक 03.07.2023 को अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी को सैद्धान्तिक स्वीकृति में दी गई शर्तो के अनुसार आख्या प्रेषित की गयी थी परन्तु परिवेश पोर्टल में फार्म A स्टेज ।। में प्रदर्शित नहीं हो रहा था वर्तमान में पार्टल पर फार्म A स्टेज ।। में प्रदर्शित हो रहा है उत्तराखण्ड़ शासन द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान की गई हैः–

1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	चालान की छायाप्रति संलग्न है।
2	इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्याः 202/1995 में IA नम्बर 556 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	NPV जमा कर दी गई है पत्र संलग्न।
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होत है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएंगी।	प्रमाण–पत्र संलग्न।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार का पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0 एस0बी0–25229	चालान की छायाप्रति संलग्न है।

	कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लॉक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी	
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	प्रमाण पत्र संलग्न है।
6	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण–पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	–तदैव–
7	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	–तदैव–

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
ऋषिकेश

पंत्राक........................ /1सी0

दिनांक. / /2024

प्रतिलिपिः–

1. सहायक अभियन्ता(द्वितीय) अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
ऋषिकेश

ग्राम पंचायत लिस्ट्राबाद

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री डा० रवीन्द्र सिंह कृषाली	रविन्द्र सिंह कृषाली
2	श्री राजेन्द्र सिंह	राजेन्द्र सिंह "
3	श्री कमेश रावत	[illegible]
4	श्री दिग्विजय सिंह	दिग्विजय
5	श्री आनन्द सिंह	Anand
6	श्री प्रभात रावत	[illegible]
7	श्री मा० अनिल कृषाली	अनिल कृषाली
8	श्री अरुण कृषाली	Arun
9	" बलवन्त रावत	बलवन्त
10	" श्याम सिंह नेगी	श्यामसिंह
11	" जोत सिंह पुण्डीर	जोतसिंह
12	" सुन्दर सिंह पुण्डीर	सुन्दरसिंह
13	" मदन सिंह कुमाई	मदन सिंह
14	" हुकम सिंह मनवाल	हुकम सिंह मनवाल
15	" वीरपाल सिंह कृषाली	वीरपाल सिंह
16	" सत्यवान सिंह	[illegible]
17	" सैनपाल सिंह	S.P. Singh
18	" हुकम सिंह	हुकमसिंह
19	" प्रमोद कृषाली	Parimila
20	" भानू कृषाली	भानू कृषाली
21	" भरत सिंह कृषाली	भरत सिंह कृषाली
22	" रणजीत सिंह	रणजीत सिंह

ग्राम पंचायत लिस्ट्राबाद

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
23	श्री डिगम्बर सिंह कुषाली	Kushali
24	" केदार सिंह "	केदार सिंह
25	" देवपाल सिंह मनवाल	देवपाल सिंह
26	" रघुवीर सिंह "	रघुवीर सिंह
27	" संजय सिंह "	Sanjay Manwal
28	" मनजीत सिंह "	Geeta
29	" राजपाल सिंह "	राजपाल सिंह
30	" मंगल सिंह "	मंगल सिंह
31	" यशपाल सिंह "	Y. Manwal
32	" प्रताप सिंह "	प्रताप सिंह
33	" भरत सिंह "	[illegible]
34	" रमेश चन्द्र रावत	रमेशचन्द
35	" राजेन्द्र सिंह कुषाली	राजेन्द्र सिंह
36	" अवतार सिंह "	अवतार सिंह
37	" जयेन्द्र सिंह "	[illegible]
38	" खेम सिंह "	खेम सिंह
39	" विक्रम सिंह "	विक्रम सिंह
40	" दयाल सिंह "	दयाल सिंह
41	" तेजपाल सिंह "	तेजपाल सिंह
42	" भरत सिंह मनवाल	[illegible]
43	श्रीमती राजबाला देवी वार्ड सदस्य 9	श्रीमती राजबा
44	अकबर अली उपप्रधान	अकबर अली

कार्यालय
ग्राम पंचायत लिस्ट्राबाद
तहसील–ऋषिकेश, जिला–देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला देहरादून, उत्तराखण्ड में अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश के अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु (0.60 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 है0 सिविल/समाज भूमि, 0.000 है0 नाप भूमि) वन भूमि का अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **लिस्ट्राबाद** द्वारा ~~ग्राम सभा~~/ग्राम पंचायत की बैठक में अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र बावत ग्रामवासियों से विस्तृत चर्चा की गयी कि फारेस्ट राईट एक्ट (एफ0आर0ए0) 2006 के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य ~~है अथवा~~ नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम ~~सभा~~ द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम **लिस्ट्राबाद** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश को दिये जाने पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है।

ग्राम सभा की सिफारिश पर फारेस्ट राईट एक्ट (एफ0आर0ए0) 2006 के अन्तर्गत विभाग द्वारा (0.60 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 है0 सिविल/समाज भूमि, 0.000 है0 नाप भूमि) वन भूमि अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश को **जनपद देहरादून** में ग्राम सभा स्वरूप **प्रेमनापुर में गिरधारी लाल फार्म से तुडान माजरे तक सड़क निर्माण** हेतु प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्रा०पं० लिस्ट्राबाद बैठक दिनांक 23/3/16, पृ०सं० 5 की सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम सचिव, लिस्ट्राबाद
विकास खण्ड–डोईवाला, दे०दून

ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत लिस्ट्राबाद
विभाग
पो०आ०–रानीपोखरी, दे०दून

कार्यालय
ग्राम पंचायत लिस्ट्राबाद
तहसील–ऋषिकेश, जिला–देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला देहरादून, उत्तराखण्ड मे अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश के अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु (0.60 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 है0 सिविल/समाज भूमि, 0.000 है0 नाप भूमि) वन भूमि का अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **लिस्ट्राबाद** द्वारा ~~ग्राम सभा~~/ग्राम पंचायत की बैठक में अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र बावत ग्रामवासियों से विस्तृत चर्चा की गयी कि फारेस्ट राईट एक्ट (एफ0आर0ए0) 2006 के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य ~~है अथवा~~ नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम **लिस्ट्राबाद** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश को दिये जाने पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है।

ग्राम सभा की सिफारिश पर फारेस्ट राईट एक्ट (एफ0आर0ए0) 2006 के अन्तर्गत विभाग द्वारा (0.60 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 है0 सिविल/समाज भूमि, 0.000 है0 नाप भूमि) वन भूमि अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश को जनपद देहरादून में ग्राम सभा रैनापुर में गिरधारी लाल फार्म से तुडान माजरे तक सड़क निर्माण हेतु प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।
ग्रा०पं०लिस्ट्राबाद बैठक दिनांक 23/2/16, पृष्ठ 5 की सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित

ग्राम सचिव लिस्ट्राबाद

ग्राम प्रधान 2016

मीतो रावत
स.जि.पंचायत रानीपोखरी ग्रान्ट
सदस्य–जिला नियोजन समिति
देहरादून (उत्तराखण्ड)

कार्यालय उपजिलाधिकारी, ऋषिकेश
अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी
उपखण्ड स्तरीय समिति, ऋषिकेश, देहरादून

उपखण्ड ऋषिकेश परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद देहरादून में ग्राम सभा ~~रैनापुर~~ में गिरधारी लाल फार्म से तुडान माजरे तक (0.60 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 है0 सिविल / समाज भूमि, 0.000 है0 नाप भूमि) वन भूमि का अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील ऋषिकेश), ऋषिकेश की बैठक दिनांक 22/3/15 का कार्यवाही विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री संतोष कुमार पाण्डे उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1.	श्री संतोष कुमार पाण्डे, उपजिलाधिकारी, ऋषिकेश।	—	अध्यक्ष
2.	श्री भरत सिंह, उप प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून	—	सदस्य
3.	श्री एस0एस0मनवाल, सहायक समाज कल्याण अधिकारी..........	—	सदस्य / सचिव।
4.	श्रीमती गीता जायसवाल, बी0डी0सी0 स0, निरन्द्राबाद	—	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद देहरादून में ग्राम सभा रैनापुर में गिरधारी लाल फार्म से तुडान माजरे तक (0.60 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 है0 सिविल / समाज भूमि, 0.000 है0 नाप भूमि) वन भूमि का अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर भूमि जनपद देहरादून में ग्राम सभा रैनापुर में गिरधारी लाल फार्म से तुडान माजरे तक मार्ग, सार्वजनिक उपयोग हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून द्वारा अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्व सम्मति से उपखण्ड ऋषिकेश परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद देहरादून में ग्राम सभा रैनापुर में गिरधारी लाल फार्म से तुडान माजरे तक (0.60 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 है0 सिविल / समाज भूमि,0.000 है0 नाप भूमि) वन भूमि का अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश, देहरादून को जनहित में व्यपवर्तन की सहमति प्रदान की गयी।

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील--ऋषिकेश, उपखण्ड ऋषिकेश
देहरादून

प्रतिलिपिः— जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील--ऋषिकेश, उपखण्ड ऋषिकेश
देहरादून

Geeta Jaiswal
गीता जायसवाल
क्षेत्र पंचायत सदस्य
रानीपोखरी ग्रान्ट वि.ख. डोईवाला
देहरादून (उत्तराखण्ड)

Annexure-II

FORM-I
(For Project other than linear Projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Dehradun
****

No...101/D.M. Dehradun

Dated..09/09/14..

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF) Government of India's Letter No 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 Where in the MoEF Issued guidelines on submission of evidences for having Initiated and Completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes it is certified that 0.60 **hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer Temp. Division P.W.D. Rishikesh (Name of User agency) for Renapur Girdhari Lal Fram to Tudaan Majare into 2 lane Road (purpose for diversion of forest land) in Dehradun district falls within jurisdition of Renapur village(s) in Doiwala tehsils.

It is further certified that.

a. The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for tke entire 0.60 **hectares** of forest area proposed for diveirsion. A copy of records of all Consultation and meeting of the forest Rights Committee(s) Gram Sabha (s), sub-division level committee (s) and the District Level Committiee are enclosed as annexure 1 annexure 2

b. the proposal for sach diversion (with full details of the project and its implication, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of Forest-dwellers, who are eligible under the FRA,

c. the each of concerned Gram Sabh(s), has certified that all formalities/prpceses under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of Renapur villages.

d. the discussion and decision on sach proposal had taken pace only when there was quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabhas have given their consent to it.

e. the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been Completed and the Grama sabhas have given their consent to it.

f. the rights of primtive Tribal Groups and pre-Agariculture Communities where application have been Specifically safeguarded as per section 3(1)(e) of the FRA.

Encl:- As above

Signature

(Full name and offial seal of the District Collector)

Annexure-1

FORM-I
For linear Projects
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Dehradun
****

No....102/D.M Dehradun

Dated.09/09/14..

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF) Government of India's Letter No 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 Where in the MoEF Issued guidelines on submission of evidences for having Initiated and Completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the the forest land proposed to be diverted for non&forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects, it is certified that 0.60 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer Temp. Division P.W.D. Rishikesh (Name of User agency) for Constuction of Renapur Girdhari Lal Fram to Tudaan Majare into 2 lane Road (purpose for diversion of forest land) in Dehradun district falls within jurisdition of Renapur village(s) in Doiwala tehsils.

It is further certified that.

a. The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for tke entire 0.60 hectares of forest area proposed for diveirsion. A copy of records of all Consultation and meeting of the forest Rights Committee(s) Gram Sabha (s), sub-division level committee (s) and the District Level Committiee are enclosed as annexure 1 annexure 2.

b. the diversion of forest Land for facilities managed by the Government as required under section 3,(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

c. the proposal does not invole recognised right of primitive Tribal Groups and pre- agricultural communities.

Encl:- As above

Signature
(Full name and offial seal of the District Collector)
(... कुमार)
आई०ए०एस०
District Magistrate
जिलाधिकारी, देहरादून
Dehradun.

अधिशासी अभियन्ता 9.09.14
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
ऋषिकेश

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT DEHRADUN. (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act. (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Dehradun district constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Chandresh Kumar I.A.S. deputy commissioner Dehradun on date 15.12.2014 at time 4.00 p.m. at Dehradun in which application claiming rights in Renapur in Girdhari lal Fram to Tudan majare motor road area measuring 0.60 hect. For the construction of in Renapur in Girdhari lal Fram to Tudan majare motor road (1.50 KM.) of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Doiwala sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommended the above case for diversion of land for the said purpose.

Place - Dehradun.

Dated – 15.12.2014

District Level Committee

Deputy Commissioner-cum-chairman

जिलाधिकारी

अपर जिलाधिकारी

अधिशासी अभियन्ता

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 20-12-2019

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6120937733
MoEF/SG File No.	1(225)
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Temporary Division, PWD, RishikeshDehradun
Amount(In Rs)	841398/-

Amount In Words :Eight Lakh Forty-One Thousand Three Hundred and Ninety-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896120937733 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

24/12/2019

प्रमाण–पत्र

कार्य का नाम– जनपद देहरादून में ग्राम सभा रैनापुर के अन्तर्गत गिरधारी लाल फार्म से तुडान माजरा तक मार्ग के नवनिर्माण हेतु 0.6 है0 वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तांतरण।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
ऋषिकेश

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
ऋषिकेश

प्रमाण–पत्र

कार्य का नाम:– जनपद देहरादून में ग्राम सभा रैनापुर के अन्तर्गत गिरधारी लाल फार्म से तुडान नाजरा तक मार्ग के नवनिर्माण हेतु 0.8 है0 वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तांतरण।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
ऋषिकेश

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
ऋषिकेश

प्रमाण–पत्र

कार्य का नामः– जनपद देहरादून में ग्राम सभा रैनापुर के अन्तर्गत गिरधारी लाल फार्म से तुडान माजरा तक मार्ग के नवनिर्माण हेतु 0.6 है0 वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तांतरण।

प्रमाणित किया जाता है कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
ऋषिकेश

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
ऋषिकेश